



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 657/11/2009/चयन

इन्दौर, दिनांक 26.09.2011

चयन परिणाम

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/चयन/2009/ दिनांक 19.01.2009 एवं शुद्धिपत्र क्रमांक 01/01/चयन/2009/19.01.2009/22.01.2009 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्राध्यापक, समाज शास्त्र के कुल-24 पद (अनारक्षित-12, अ.जा. - 04, अ.ज.जा-05 एवं अ.पि.वर्ग-03) जिसमें से महिला आवेदकों के लिए अनारक्षित-04, अ.जा. - 01, अ.ज.जा-02 व अ.पि.वर्ग-01 तथा 01 पद अनारक्षित (विकलांग) श्रेणी हेतु आरक्षित) विज्ञापित किये गये थे। उक्त पदों की पूर्ति के लिए दिनांक 21, 22 एवं 23 सितम्बर, 2011 को आयोजित साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप चयन सूची निम्नानुसार घोषित की जाती है :-

मुख्य सूची

स.क.	रोल नम्बर	नाम	लिंग	
1	115	डॉ. विनोद कुमार रस्तोगी	M	प्रावधिक
2	41	डॉ. (श्रीमती) मीना जैन	F	प्रावधिक
3	94	डॉ. विजय कुमार गम्भीर	M	
4	62	डॉ. माधवीलता (शर्मा) दुबे	F	
5	11	डॉ. दीप्ति श्रीवास्तव	F	
6	84	डॉ. अयूब खान	M	प्रावधिक
7	112	डॉ. रमा सिंह	F	प्रावधिक
8	72	डॉ. सपना शर्मा सारस्वत	F	प्रावधिक
9	39	डॉ. गौहर हुजेफा खान	F	प्रावधिक
10	119	डॉ. (श्रीमती) मीनू मिश्रा	F	प्रावधिक
11	123	डॉ. (श्रीमती) रश्मि दुबे	F	प्रावधिक
12	148	डॉ. ज्योति मेहता (विकलांग)	F	प्रावधिक
13	85	डॉ. हीरालाल फुलवरे	M	प्रावधिक
14	154	डॉ. संजय राने	M	प्रावधिक

अनुपूरक सूची (अनारक्षित)

स.क. रोल नम्बर	नाम	लिंग		
1	67	डॉ. (श्रीमती) किरण सिंह	F	प्रावधिक
2	7	डॉ. तैयबा खातून	F	प्रावधिक
3	144	डॉ. प्रवीणा घारीवाल	F	
4	159	डॉ. (श्रीमती) कुसुमा भारद्वाज	F	प्रावधिक
5	160	डॉ. अखिलेश शुक्ल	M	
6	68	डॉ. कु. गीता श्रीवास्तव	F	प्रावधिक

अनुपूरक सूची (अनुसूचित जाति)

निरंक

अनुपूरक सूची (अनुसूचित जनजाति)


निरंक

अनुपूरक सूची (अन्य पिछड़ा वर्ग)

निरंक

टीप :-

1. अनुसूचित जनजाति/अ.पि.वर्ग संवर्ग के विज्ञापित पदों के विरुद्ध कोई आवेदक उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त रहे है एवं अनुसूचित जाति हेतु विज्ञापित पद के विरुद्ध आवेदक उपलब्ध न होने के कारण इस संवर्ग के कुछ पद रिक्त रहे है ।
2. न्यायालयीन प्रकरण वाले अभ्यर्थियों के चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अध्यक्षीन रखे जाकर रोके गये है ।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।


(वंदना वैद्य)
प्रमारी सचिव